न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–67 / 2016–17

शशिकान्त शर्मा बनाम पवित्री देवी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/6/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक 1213 दिनांक 23.09.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 81 / 2016–17 के आलोक में आरम्भ की गयी। अंचलाधिकारी, बाढ़ के द्वारा विपक्षी पवित्री देवी के नाम से कायम मौजा बेढ़ना, थाना नं0 70,खाता नं0–461, खेसरा सं0 5166 रकवा 24डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{1278}{V-6}$ पर निर्णय लेने हेतु यह अभिलेख भेजा गया है। **इस वाद के आवेदक शशिकांत शर्मा का कहना है कि** (1) प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी पवित्री देवी स्वंय अपने नाबालिग पुत्र संजय कुमार, राजीव राजू कुमार एवं पुत्री डोली कुमारी की ओर से विक्रय पत्र सं0 114 दिनांक 04.01.1977 द्वारा आवेदक के तत्कालीन संयुक्त परिवार की सदस्या मलीदा देवी, पाते पालो सिंह को बेचा गया। मलीदा देवी आवेदक की चाची थीं। (2) खरीदगी के पश्चात आवेदक का परिवार प्रश्नगत भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आया। पुनः दिनांक 16.08.1996 के निबंधित बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के पिता लुखो सिंह को हिस्से में प्राप्त हुआ। (3) बंटवारा के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के पिता लुखो सिंह के शांतिपूर्ण दखल में आया तथा लुखो सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 341 / 63 कायम की गयी, जिसका विपक्षी ने कभी विरोध नहीं किया। (4) पिता की मृत्यु के पश्चात आवेदक एवं उनके भाई अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये। आवेदक एवं उनके भाई के द्वारा पिता के नाम से कायम जमाबंदी सं0 341 / 63 को अपने नाम से कायम करने का अनुरोध अंचलाधिकारी, बाढ़ से किया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 06 / 2016–17 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, बाढ़ के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड 24डी0 को छोड़ कर शेष भूखण्डों की जमाबंदी आवेदक एवं उनके भाई के नाम से कायम कर दी गयी। अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विपक्षी पवित्री देवी के द्वारा आपति की गयी है। उक्त भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षी पवित्री देवी के नाम से भी चल रही है। अतः	

प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी को पिता लुखो सिंह के नाम से यथावत रखते हुए विपक्षी की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव अपर समाहर्ता, पटना को भेजा जा रहा है।

(5) विपक्षी पवित्री देवी के द्वारा वर्ष 1977 में ही प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के परिवार को बिक्री कर दी गयी है। बिक्री के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के संयुक्त परिवार के दखल में है। निबंधित बंटवारा दिनांक 16.08.1994 से प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के पिता को हिस्से में प्राप्त है। अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 341/63 आवेदक के पिता के नाम से कायम है। विपक्षी के द्वारा बिक्री के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर उनका कोई हक शेष नहीं रहा। यदि विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व में कायम थी तो वर्ष 1977 में बिक्री के पश्चात उक्त जमाबंदी को निःप्रभावी माना जायेगा।

(6) विपक्षी के द्वारा निष्पादित केवाला दिनांक 04.01.1977 अभी तक किसी सक्षम व्यवहार न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। उक्त विक्रय पत्र से प्रश्नगत भूखण्ड की हकीयत मेरे परिवार को हस्तांतरित हो चुका है। वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक एवं उनके भाई के शांतिपूर्ण दखल में है।

(7) आवेदक के द्वारा विपक्षी पवित्री देवी की प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 04.01.1977 का बिक्रय पत्र

(2) दिनांक 16.08.1994 का निबंधित बंटवारानामा

(3) लुखो सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{341}{63}$ पर निर्गत वर्ष 1996–97 की लगान रसीद

विपक्षी पवित्री देवी का कहना है कि

(1) आवेदक के द्वारा दायर आवेदन आधारहीन, झूठा एवं तथ्यहीन है, अतः रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी की मौरूसी सम्पति है। प्रश्नगत भूखण्ड कभी भी मलीदा देवी को नहीं बेची गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के दखल कब्जा में है।

(3) सरकार के द्वारा पटना–बख्तियारपुर फोरलेन निर्माण हेतु प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन किया गया है। विपक्षी के द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु जिला भू–अर्जन कार्यालय में जमीन की लगान रसीद, भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र एवं अन्य कागजात जमा किए गए है।

(4) आवेदक के द्वारा भू–अर्जन के मुआवजा को हड़पने के उद्देश्य से यह वाद लाया गया है। आवेदक के पास ऐसा कोई कागज नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के द्वारा मलीदा देवी

को बेची गयी थी। आवेदक के द्वारा झूठा दावा किया जा रहा है, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) जिला भू–अर्जन कार्यालय में एल0ए0 केस नं0 11/2016–17 में दिनांक 22.04.2016 को समर्पित आवेदन

(2) पवित्री देवी की जमाबंदी सं0 1278 पर प्रश्नगत भूखण्ड के लिए निर्गत वर्ष 2015–16 की लगान रसीद

(3) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(4) सर्वे खतियान की प्रति

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूखण्ड उनके द्वारा कभी भी मलीदा देवी को नहीं बेची गयी। आवेदक के पास प्रश्नगत भूखण्ड की खरीदगी संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है। परन्तु आवेदक के द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं0 114 दिनांक 04.01.1977 की सत्यापित प्रति की छाया–प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के द्वारा स्वंय अपने एवं अपने नाबालिग पुत्र, पुत्रीकी तरफ से दिनांक 04.01.1977 को मलीदा देवी, पति जाला सिंह को बेच दी गयी।

अतः आवेदक का यह दावा सही है कि प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के द्वारा वर्ष 1977 में ही उनके संयुक्त परिवार की सदस्या (चाची) को बेच दी गयी थी।

(2) आवेदक के द्वारा दाखिल दिनांक 16.08.1994 निबंधित पारिवारिक बंटवारानामा की छाया–प्रति से यह स्पष्ट है कि अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड 24डी0 लूखों सिंह एवं अन्य को हिस्से में प्राप्त हुआ।

(3) वर्ष 1996–97 की लगान रसीद से स्पष्ट है कि वर्ष 1994 में बंटवारानामा के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी आवेदक के पिता लुखो सिंह के नाम से कायम की गयी। निम्न न्यायालय के अभिलेख में वर्ष 2002–03 एवं वर्ष 2007–08 की लगान रसीद की छाया प्रति भी संलग्न है।

(4) विपक्षी के द्वारा मात्र वर्ष 2015–16 की लगान रसीद एवं दिनांक 14.05.2015 को निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। विपक्षी के द्वारा यदि वर्ष 1977 में प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री मलीदा देवी को नहीं की गयी थी तो वर्ष 1977 से वर्ष 2015 के बीच की अवधि में भी विपक्षी के नाम से लगान रसीद निर्गत की गयी होगी। विपक्षी के द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2015 की अवधि की कोई लगान रसीद साक्ष्य के रूप में दाखिल नहीं की गयी है।

(5) राजस्व कर्मचारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन है कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पवित्री देवी के द्वारा मलीदा देवी को बिक्री कर दी गयी थी। वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड लूखो सिंह के दखल में है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि

(1) विपक्षी पवित्री देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 04.01.1977 के

निबंधित केवाला से आवेदक की चाची मलीदा देवी को बेच दी गयी।

(2) 16.08.1994 के निबंधित पारिवारिक बंटवारानामा से प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के पिता लुखो सिंह को प्राप्त हुआ।

(3) अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी आवेदक के पिता लुखो सिंह के नाम से कायम थी। वर्ष 1996--97, 2002--03 एवं 2007--08 की लगान रसीद लुखो सिंह के नाम से निर्गत है।

(4) सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत खाता सं0 461 खेसरा सं0 5166 का कुल रकवा 24डी0 ही है। कुल रकवा 24डी0 की बिक्री वर्ष 1977 में विपक्षी पवित्री देवी के द्वारा मलीदा देवी को कर दी गयी। बिक्री के पश्चात उक्त 24डी0 को विपक्षी पवित्री देवी की जमाबंदी से घटाया नहीं गया, जिस कारण यह दोहरी जमाबंदी का मामला है। बिक्री के पश्चात पवित्री देवी की जमाबंदी में प्रश्नगत खाता, खेसरा का रकवा शून्य हो जाना चाहिए था।

(5) विपक्षी यदि दिनांक 04.01.1977 के निबंधित केवाला को फर्जी मानती है तो वह उक्त केवाला को रद्द करने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकती है।

उपर्युक्त परिस्थिति में आवेदक के दावा को स्वीकृत करते हुए विपक्षी पवित्री देवी की जमाबंदी सं0 1278 जो खाता सं0 461 खेसरा सं0 5166 रकवा 24डी0 के लिए कायम है को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बाढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

5/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

5/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना